संख्या : 356/ज0प्र0अनु0/2014–62(05)/2013

प्रेषक,

**ओमकार सिंह,**
**उपसचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**मुख्य परियोजना निदेशक,**
**जलागम प्रबन्ध निदेशालय,**
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम) देहरादून : दिनांक 27 ~~अक्टूबर~~ दिसम्बर, 2014

**विषयः प्रस्तावित विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (UDWDP Phase-2) के क्रियान्वयन के अन्तर्गत परियोजना अधिकारियों हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 1193/3– वित्तीय अधिकार दिनांक 18.11.2013 एवं पत्रांक 2617/3–वित्तीय अधिकार दिनांक 05 जून, 2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक वित्त पोषित UDWDP Phase-2 के क्रियान्वयन के अन्तर्गत विभिन्न परियोजना अधिकारियों हेतु वित्तीय अधिकारों का निम्नवत प्रतिनिधायन करने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र0सं0 | मानक मदों का विवरण | मुख्य परियोजना निदेशक | परियोजना निदेशक (राज्य स्तर) | परियोजना निदेशक (मण्डल स्तर) | उप परियोजना निदेशक (जनपद स्तरीय) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | भण्डार क्रय | 13.50 | 13.50 | 5.00 | 2.00 |
| 2 | क्षेत्रीय कार्य का सम्पादन | 22.50 | 22.50 | 13.50 | 10.00 |
| 3 | प्रकाशन | 13.50 | 13.50 | 5.00 | 1.00 |
| 4 | कंसलटेंसी/टेक्नीकल एवं प्रोफेशनल सर्विस | 13.50 | 13.50 | 5.00 लाख तक अग्रेत्तर अधिकारी से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर | – |

2. उपरोक्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए सुसंगत शासनादेशों/नियमों के कड़ाई से अनुपालन हेतु संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3. उपरोक्त अधिकारों का प्रतिनिधायन मात्र UDWDP Phase-2 की विधिमान्य अवधि तक के लिये ही लागू रहेगा तथा परियोजना अवधि के उपरान्त स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।

4. अन्य मदों के लिये विभिन्न शासनादेशों के द्वारा राजकीय विभागों हेतु लागू प्रक्रिया यथावत रहेगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 755 /XXVII(7)/2013 दिनांकः 24.12.2014 में प्रदत्त सहमति के आधार पर निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( ओमकार सिंह )
उपसचिव।

संख्या : (1)/ज0प्र0अनु0/2014–62(05)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( ओमकार सिंह )
उपसचिव।